

FORM No. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

यालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट खण्डेला

..... बनावत
 मुकदमा नं. .../.../... मुकदमा नं. F.T-157/2019 20/3

क्र. हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
18/19	वकील वादी श्री बन्वारी लाल जांगू ने हाजिर अदालत होकर वादपत्र पेश किया। दावा दर्ज रजिस्ट्र किया जाये। उत्तिवादीगण को तलबी जारीये सम्मन की जाकर मिसल दिनांक 06/11/19 को पेश हो।	1901 21/10/19
06/19	वकील वादी उप.। उत्तिवादी सं. 4 की तामील सम्मन रूप से होकर लौटी हैं। बावजूद सम्मन तामील उक्त उत्तिवादी की शौट से कोई हाजिर अदालत नहीं आया हैं। अतः उत्तिवादी सं. 4 के विरुद्ध एक प्रतीय कार्यवाही डामल में लाई जाती हैं। वास्ते बर्तनजाए तामील शेष उत्तिवादीगण हेतु मिसल दिनांक 07/11/19 को पेश हो।	बलवदारी रामेश्वर लाल
07/19	वकील वादी उप.। वादी एवं उत्तिवादी सं. 1 ता 3 की शौट से राजीनामा पेश हुआ। वादी की पहचान श्री बन्वारी लाल जांगू एड. ने की तथा उत्तिवादी सं. 1 ता 3 की पहचान श्री रामेश्वर लाल तैतवाल एड. ने की। उपस्थित पक्षकारान को राजीनामा पढकर सुनाया गया जिसे सुन व समझकर उप. पक्षकारान इतर सही होना बताया गया अतः हस्तक्षेपित पक्षकारान राजीनामा	



वाद तहकील शामिल पत्रावली किया गया। बकील
वादी ने मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री किया
जाने का निर्वेदन किया।

पत्रावली व फत्रावली पर उपलब्ध राजस्व
रेकोर्ड, पेंशिशुदा राजीनामा, संलग्न दस्तवेज
आधार कार्ड, पहचान पत्र, मामाशाह कार्ड,
परिवार रजिस्ट्रार कार्ड एवं सपेच ग्राफ पंचायत
की ठीकीया का उमठा पत्र का खर्चोंकन
किया गया जिससे वादी का वाद स्वीकार किया
जाने योग्य पाया जाने पर न्यायाहित में स्वीकार
किया जाता है तथा प्रकरण में विशेष निम्न आदेश
दिया जाता है कि:-

निर्णय

तन ग्राम ठीकीया तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज.)
अवलम्बित ख.नं. 204 ता 206, 858/1, 858/2 एका
3.19 हे. के 1/2 भाग में वादी का नाम "बलवीसिंह
पि. रामेश्वर" के स्वाम पर "बलवीसिंह पि. रामेश्वर
सिंह" व 1/4 भाग की खतदारी उत्तिवादी सं. 1 ता 3 की
में उत्तिवादी सं. 1 ता 3 की बलियत "रामेश्वर" के
बजाय "रामेश्वरसिंह" व उत्तिवादी सं. 1 का नाम
विधादेवी" के स्वाम पर "विधाकंवर" दुबलत किया
जाता है। उक्तानुसार राजस्व रेकोर्ड में अमल-दरामद
हो। तदनुसार पंच डिक्री मूर्ति हो। पत्रावली
फंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा
वाद तहकील दाखिल करत हो। निर्णय छुले
न्यायालय में सुनाया गया।



जज
न्यायाधीश
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला

अन्तिम डिग्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक मुकाम खण्डेला

व इजलास श्री राजीत सिंह, RAS

① बलवी सिंह बनाम ① विद्यादेवी

दावा नावत रिपोर्ट इवली

मुकदमा नं. 157 सान 2019

गह मुकदमा आज वारते इनफिसाल कतई रुबरु श्री राजीत सिंह, RAS

व हाजिरी श्री बलवी लाल जावरू गिनजानिव मुद्दई रुबरु श्री रामेश्वर लाल तंतवाल

गिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि

तन ग्राम ठिकरिया तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज.) अवस्थित कृषि मूडिखे नं० 204/206, 858/1, 858/2 केबा 3.19 हे०के $\frac{1}{2}$ भाग में बादी का नाम "बलवी सिंह पि० रामेश्वर" के स्थान पर "बलवी सिंह पि० रामेश्वर सिंह" व $\frac{1}{4}$ भाग की खतैदारी उत्तिवादी संवाता 3 की में उत्तिवादी संवाता 3.


गिज मुबलिंग नावत

खर्चा इस मुकदमें के गय सूद गशरह फीसदी सहाना आज की तारीख से

तारीख अदायगी लेक का अदा करें।

गसल मेरे दरतखत व मुहर अदालत के आज तारीख 07 माह 11 सान 2019 को

जारी की गई।



दरतखत [Signature]

अहदीहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) खण्डेला

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह समूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			नावत इजराय हुकमनामा		
नावत इजराय हुकमनामा			मुताफरिक		
मुताफरिक					

* पुत्र रामेश्वरसिंह जाति दतोगा नि. ठिकरिया तहसील
खण्डेला जिला साकर राज. - वादी

खलाम
* पत्नी रामेश्वरसिंह
① राजेन्द्र सिंह पुत्र रामेश्वर सिंह
② छुवीर सिंह पुत्र रामेश्वर सिंह
समस्त जाति दतोगा नि. ठिकरिया तहसील खण्डेला
जिला साकर राज.
④ भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला
- उतिवादीजान

* की बलिमत "रामेश्वर" के बजाय "रामेश्वरसिंह" व
उतिवादी सं. 1 का नाम "विद्यादेवी" के प्यान पर
"विद्यादेवी" दुरुस्त किया जाता है। उक्तानुसार
राजस्व रेकोर्ड में अमल नदरामद हो।



Dr
1.11
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला

